



क्रमांक : एफ14(1)(8)/निमअ/सामू.विवाह/2010-11 | 5446

जयपुर, दिनांक 09/02/2022

आदेश

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत पुष्करणा ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह आयोजनों हेतु बीकानेर शहर के परकोटे को स्थायी रूप से एक छत घोषित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक : एफ14(1)(8)/निमअ/सामू.विवाह/2010-11 | 5447-56

जयपुर, दिनांक 09/02/2022

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त महिला अधिकारिता।
6. जिला कलक्टर, बीकानेर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर।
8. उप निदेशक महिला अधिकारिता, बीकानेर।
9. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. अध्यक्ष, परशुराम सेवा समिति, बजरंग कॉलोनी, उस्तों की बारी के बाहर, बीकानेर।

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता